(1) (8)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, (म0प्र0)

निगरानी I/निगरानी/छतरपुर/भूरा/2018/1944 सन्

(1) मिहीलाल तनय हल्कैया अहिरवार

(2) लखनलाल तनय हल्कैया अहिरवार

(3) भगत पिता हल्कैया अहिरवार
समस्त निवासी ग्राम हकीमपुरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0) .....निगरानीकर्ता

बनाम

(1) सुनील कुमार तनय गौरीशंकर अग्रवाल

(2) प्रवीण कुमार तनय गौरीशंकर अग्रवाल

(3) लल्लन पिता पीर खाँ मुसलमान

(4) हमीदन पुत्री पीर खाँ मुसलमान

(5) फल्लो पुत्री पीर खाँ मुसलमान

(6) शरीफ पुत्र पीर खाँ मुसलमान

(7) गफ्फार पुत्र पीर खाँ मुसलमान
समस्त निवासी ग्राम हकीमपुरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

(8) भूरा पुत्र हल्कैया चमार

(9) बेटी बाई पत्नि हल्कैया अहिरवार

(10) सल्लो पत्नि निशा अहिरवार
समस्त निवासी ग्राम हकीमपुरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0) .....उत्तरवादीगण

निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959
विरूद्ध अपील प्रकरण क्र. 594/अ–70/10–11 में
पारित आदेश दिनांक 17/08/2017 के विरूद्ध
अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर

महोदय,

निगरानीकर्तागण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है :–

निगरानी के तथ्य

(1) यह कि भूमि ख.नं. 412, 76/3, 236/3 रकवा क्रमशः 1.465 हे0, 0.270 हे0, 1.562 हे0 स्थित ग्राम हकीमपुरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर की आराजी है जिसका मालिक आधिपत्यधारी निगरानीकर्तागण एवं उत्तरवादीगण क्रमांक 8 लगायत 10

क्रमशः 2

बी.पी. खरे
एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./1944/2018

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-06-2018	आवेदक की ओर से श्री सुन्दरम श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की गई थी । व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 08-07-2013 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है । चूंकि आवेदक पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 08-07-2013 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है और अपर जिला न्यायाधीश द्वारा जो भी आदेश पारित किया जायेगा वह उभय पक्ष पर बंधनकारी होगा । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष में उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	